नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11.12.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस पूर्व मे सुनी गई प्रकरण मे वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि दिनांक 24.9.2024 को प्र.स. 19/17 व मनवान रतन लाल बनाम शंकर लाल अ.धा. 251 ए RTA का अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया था। प्रार्थी बहार गाँव मजदूरी करने हेतु गया हुआ था। जिससे नियत पेशी पर न्यायालय श्रीमान मे उपस्थित नही हो सका. प्रकरण मे पारित आदेश की जानकारी होते ही मूल प्रकरण को नम्बर पर लेने हेतु प्रा.पत्र पेश कर दिया। अतः प्रा.पत्र स्वीकार कर मूल प्रा.पत्र को नम्बर पर लेने के आदेश फरमाया जावे। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी जवाबी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपने प्रा.पत्र मे बहार गाँव मजदूरी करने जाने का गलत एवं झूठा अंकन किया है। प्रार्थी को आदेश की जानकारी थी। पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेने से विपक्षी को अत्यधिक कानूनी एवं आर्थिक क्षति होगी, क्योकि प्रार्थी का प्रा.पत्र अवधि अधिनियम से बाधित है। प्रार्थी ने प्रा.पत्र विलम्ब से पेश किया है, जो माफ. या क्षम्य किये जाने हेतु प्रस्तुत धारा 05 अवधि अधि. का प्रा.पत्र गलत एवं असत्य होने से चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। एवं प्रकरण का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रकरण प्रा.पत्र अ.धा. 251 ए रास्ते के सम्बन्ध का है जो बहस प्रा.पत्र आदेश 22 नि.04 जा.दी मे नियत था। किन्तु प्रकरण मे प्रार्थी व वकील प्रार्थी के उपस्थित नही होने से प्रा.पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे दिनांक 24.9.24 को खारिज कर दिया गया था। प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थी ने प्रा.पत्र आदेश 09 नि. 09 जा.दी. का दिनांक 28.7.25 को पेश किया जो लगभग दस माह पश्चात पेश किया है। प्रकरण रास्ते से सम्बन्धित है। मूल प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से रास्ते के सम्बन्ध मे मौका रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है।	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ऐसी स्थिति मे प्रा०पत्र स्वीकार किये जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र आदेश 09 नि० 9 व धा जा०दी० 1000 रु अक्षरे एक हजार रु कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। मूल प्रा०पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाने की स्वीकृति दि जाती है। मूल प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर पेशी तारिख पर पूर्वानुसार रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [initials]